

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.7(111)नविचि/3/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 12 0 AUG 2018

आदेश

माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26.04.2018 को मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में आवासन मण्डल की तरफ से रखे गये इस विन्दु पर गहन चर्चा हुई कि मण्डल स्तर पर भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना जारी होने व अवार्ड जारी करने के बाद भी इस अवाप्ति प्रक्रिया के अधीन भूमि का खातेदारों द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर दिया गया है। इस बेचान से अवार्ड के बतौर विकसित भूमि देने व भूमि का कब्जा लेने में दिक्कत आ रही है। इसी वजह से कई स्थानों पर योजना की क्रियान्विति में दिक्कत आ रही है व वादों की संख्या बढ़ रही है। अतः इस समस्या के निराकरण के लिए इस तरह के क्रेताओं को विकसित भूमि (खातेदार को विकसित भूमि देय होने की स्थिति में) देने का निर्णय लिया गया।

इसी निर्णय के क्रम में आवासन मण्डल के साथ ही अन्य नगर विकास न्यासों/प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में भी इस प्रकार के प्रकरण ध्यान में लाये गये। अतः सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में इस प्रकार की समस्याओं के निराकरण व वादकरण (Litigation) को कम करने व योजनाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकार के बेचान होने व क्रेताओं के पक्ष में विकसित भूमि देने बाबत निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

1. सर्व प्रथम इस हेतु क्रेताओं से आवेदन लिये जावेगे तथा आवेदन के साथ दस्तावेज भी संलग्न होंगे।
2. इसके बाद विकसित भूमि आवंटन बाबत आपत्तियाँ आमंत्रित की जावेगी व आपत्तियाँ प्राप्त होने पर उनका निस्तारण किया जावेगा।
3. तत्पश्चात भूमि अवाप्ति के अधीन जारी आदेशों के तहत विकसित भूमि देय होने की स्थिति में संबंधी क्रेता को विकसित भूमि दी जावेगी व राशि 100/-रु. प्रति वर्गमीटर संबंधित आवासन मण्डल/नगर विकास न्यासों/प्राधिकरणों/नगरीय निकायों को देय होगी।
4. क्रेता को मुआवजे की भूमि देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मुआवजे के रूप में कोई भूमि या राशि पूर्व में खातेदार को नहीं दी गयी है।
5. यदि मुआवजा राशि न्यायालय में जमा है तो उसे प्रत्याहरित करने के पश्चात ही नियमानुसार विकसित भूमि दी जावेगी।
6. उक्त आदेश दिनांक 31.10.2018 तक प्रभावी रहेगा।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजेंद्र सिंह शिव्वावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को सूचनार्थ बाबत।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
8. संयुक्त शासन सचिव/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.), राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम